श्री सभापति: आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा।...(व्यवधान)...

MS. MABEL REBELLO: Sir, in the answer the Minister has said that on 50 per cent basis they have offered the Punjab Government to build up Railway lines. From the year 2002, Jharkhand State is contributing 60 per cent for Railway connectivity and construction. I would like to know from the hon. Minister since he has offered on 50 per cent basis to other States, whether they are trying to reduce Jharkhand's contribution from 60 per cent to 50 per cent?

SHRI E. AHAMMED: I am very happy to say that Jharkhand is the only State which has agreed to bear 67 per cent. Sir, as it has already been decided and it is an ongoing project, I hope hon. Member will also appreciate the anxiety of the Railways to make available whatever resources is possible. In this context, Sir, I do not want to make any comment. ...*(interruptions)*...

Suicide by farmers

*604. SHRI NAND KISHORE YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that 17 farmers in Vidarbha and 2 farmers in Orissa committed suicide from April, 2010 till date;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of farmers who committed suicide during the last three years, till date, State-wise, including Uttar Pradesh;

(d) whether any fresh financial package will be announced to ameliorate miserable conditions of farmers in the country;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons for neglecting 70 per cent of poor population of the country?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As reported by the Government of Maharashtra, in April, 2010, 6 suicides by farmers have taken place in 6 districts of Vidarbha (monitored under the Rehabilitation Package) which are due to indebtedness or economical distress or crop failure as per reasons ascertained immediately after these suicides. One person in the State of Orissa has committed suicide in April, 2010 allegedly due to burden of loan as reported by Government of Orissa.

(c) Number of suicides by farmers due to agrarian reasons, as reported by the State Governments is given in Statement-I (*See* below).

(d) to (f) In order to ameliorate the condition of farmers in areas having comparatively higher incidence of suicides by farmers due to agrarian distress, the Government of India had

approved a Rehabilitation Package of Rs. 16978.69 crore for implementation in Andhra Pradesh (16 districts), Maharashtra (6 districts), Karnataka (6 districts) and Kerala (3 districts). The package was approved initially for a period of 3 years. It has been decided by the Government to extend the period for implementation of the non-credit components of the package by 2 more years *i.e.* up to 30th September, 2011.

Besides this, following initiatives have been taken by the Government to ease financial distress faced by the farmers:—

(i) In order to address the problem of indebtedness of farmers, Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 has been implemented benefitting about 3.69 crore farmers as per the provisional figures.

(ii) In order to ensure a remunerative price to the farmers, Minimum Support Price (MSP) of major cereals has been increased substantially during the last 5 years.

(iii) Crop loan up to Rs. 3 lakh is now being provided @ 5% interest rate for those farmers who repay their loan as per schedule.

Additionally, for overall development of agriculture and allied sectors assistance is provided to farmers through central schemes such as Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY). National Food Security Mission, National Horticulture Mission. Government has amended the guidelines of the Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in July, 2009 permitting provision of irrigation facility and land development works on land belonging to small and marginal farmers under this Scheme.

Statement-I

Details of suicide by farmers due to agrarian reasons as reported by State Governments

Sl. No.	Name of the State	Period/Date of report	No. of suicides by farmers due to agrarian reasons
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	2007	504
		2008	419
		2009	219
2.	Karnataka	2007-08	182
		2008-09	155
		2009-10	97

1	2	3	4
3.	Maharashtra	2007	590
		2008	627
		2009 (03.05.10)	503
4.	Kerala	2007	68
		2008	22
		2009 (03.05.10)	03
5.	Tamil Nadu	2007	01
		2008	01
		2009	Nil
6.	Punjab	2007	24
		2008	12
		2009	18
7.	Gujarat	2007	04
		2008	01
		2009	Nil
8.	Assam	03.05.2010	Nil
9.	Arunachal Pradesh	17.08.2007	Nil
10.	Bihar	14.05.2008	Nil
11.	Chhattisgarh	16.03.2010	Nil
12.	Goa	03.05.2010	Nil
13.	Haryana	10.03.2010	Nil
14.	Himachal Pradesh	10.03.2010	Nil
15.	Jammu and Kashmir	18.11.2009	Nil
16.	Jharkhand	25.04.2008	Nil
17.	Manipur	23.03.2010	Nil
18.	Meghalaya	27.11.2009	Nil
19.	Madhya Pradesh	22.03.2010	Nil
20.	Mizoram	05.02.2010	Nil
21.	Nagaland	23.11.2009	Nil

1	2	3	4
22.	Orissa	04.03.2010 and 03.05.2010	Nil*
23.	Rajasthan	14.12.2009	Nil
24.	Sikkim	30.11.2009	Nil
25.	Tripura	25.03.2008	Nil
26.	Uttar Pradesh	03.05.2010	Nil
27.	Uttarakhand	09.03.2010	Nil
28.	West Bengal	31.10.2009	Nil
29.	Andaman and Nicobar	05.03.2010	Nil
30.	Government of NCT of Delhi	04.03.2010	Nil
31.	Daman and Diu	05.03.2010	Nil
32.	Dadra and Nagar Haveli	22.03.2010	Nil
33.	Lakshadweep	12.03.2010	Nil
34.	Puducherry	24.03.2010	Nil
35.	Chandigarh	15.11.2009	Nil

*43 cases of alleged suicide by farmers have been reported by State Government. However, the State Government has not confirmed any of these to be due to agrarian causes.

श्री नन्द किशोर यादव: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि देश के सात प्रान्तों में किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्याएं की हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें जो संख्या बतायी है, आत्महत्या करने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। जिन राज्यों के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किसानों ने आत्महत्या नहीं की है या वहां आत्महत्या शून्य है, वहां पर भी किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लोगों ने, जिन लोगों ने आत्महत्या की थी, उनकी मौत का दूसरा कारण बता दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन किसानों के बारे में आपने अपने उत्तर में बताया कि इन्होंने कृषि कारणों से आत्महत्याएं की हैं, उनमें small farmers कितने हैं? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...

श्री **सभापति**: एक सवाल पूछिए।

श्री नन्द किशोर यादव: यह उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास अलाभकारी हो चुकी खेती को फायदेमंद व्यवसाय बनाने के लिए कोई ठोस नीति है? यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो देश की कृषि की अवहेलना के क्या कारण हैं?

श्री शरद पवार: महोदय, जो सवाल यहां पर पूछा गया, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए पिछले चार-पांच साल से सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें important कदम यह उठाया था कि जो Minimum Support Price है, जिसमें आज तक कभी वृद्धि नहीं की गयी थी, उसमें वृद्धि की गयी, जिससे किसानों को ठीक तरह से कीमत मिलेगी, लागत मूल्य मिलेगा। इसके

साथ-साथ कई नई स्कीम्स introduce की गयीं — चाहे National Horticulture Mission का कार्यक्रम हो, Bamboo Mission का कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से राज्यों को और राज्यों की तरफ से किसानों को मदद देने का, उनको सहयोग देने का कार्यक्रम हो — ये सभी कार्यक्रम इन्हीं चार-पांच सालों में शुरू किए गए हैं, जिनके लिए सबसे ज्यादा budgetary provision करने के लिए हर साल प्रयास किए गए हैं। ताकि इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए कदम उठाने के लिए हम राज्य सरकारों की जितनी मदद हो सकती है, वह करें — इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं।

श्री नन्द किशोर यादव: मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किसानों के द्वारा आत्महत्याएं रुकें, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लीमेंटरी यह पूछना चाहता हूं कि बुन्देलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या तथा कृषि के अलाभकारी होने के कारण जो वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या वहां पर विशेष पैकेज देने की माननीय मंत्री जी की कोई योजना है?

श्री शरद पवार: बुन्देलखंड के बारे मैं जरूर कह सकता हूं कि इसके लिए कम्प्रहेंसिव पैकेज एक इंटीग्रिटी डवलपमेंट ऑफ दी बुन्देलखंड जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के हिस्से आते हैं, ऐसा पैकेजेज तैयार किया गया जिसके लिए 7 हजार 266 करोड़ रुपए एक टाइम बाउंड मैनर में देने के लिए इस राशि का प्रबंध किया गया है। इसमें से 3 हजार 506 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए और बाकी मध्य प्रदेश के लिए कुछ एमाउंट रखी है। वहां बुन्देलखंड की एक अलग स्थिति है इसलिए वहां ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां मॉयनर इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और वहां की खेती में तरक्की लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मदद करने की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इसलिए यह 7 हजार 266 करोड़ का एक पैकेज जो किया गया है, राज्य सरकार के सहयोग से इस पर अमल करने का काम शुरू होगा और मुझे विश्वास है कि इसका असर इस क्षेत्र में ठीक तरह से होगा।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, we always say that our country is the country of farmers and the hon. Minister himself is an agriculturist. I would like to ask him a specific question. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of taking permanent measures to save the farmers who are committing suicides. The farmers can be saved provided the hon. Minister concentrates seriously on this issue. Sir, particularly in Vidarbha region of Maharashtra, the number of suicides may be the highest in the country. And, therefore, permanent measures to avoid these suicides have become absolutely necessary. What is required is the soft interest on loans to the farmers, or, sufficient subsidy to them, considering that they are the important citizens of this country. Will the hon. Minister reply to this?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, it is a welcome suggestion. Certain steps have already been taken by the Government. This august House and the hon. Members definitely recollect those.

The first issue that the hon. Member raised is about the interest rate. Sir, the interest rate on crop loan, initially, was 12 per cent. It came down, during the previous regime, up to 11 per cent, 10 per cent and then it had brought down to 8 per cent. Then, three years back, we brought it down to 7 per cent and 6 per cent. And, in this Budget, the interest rate up to Rs. 3 lakhs for crop has been brought down to 5 per cent to those who repay regularly. सर, 5 परसेंट का इंटरेस्ट रेट यहां तक नीचे लाने का जो कदम उठाया गया, वह कभी नहीं उठाया गया था। यह एक बहुत

महत्वपूर्ण कदम इस बारे में उठाया गया। जहां तक विदर्भ की बात है, भारत सरकार ने 16,953 करोड़ का एक पैकेज दिया था, जिसमें विदर्भ, आंध्र, कर्नाटक और केरल को सहयोग देने के लिए और वहां के अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को मदद करने के लिए था। अब इसमें से 99.8 परसेंट राशि राज्य सरकार को रिलीज की गई और प्रोग्राम राज्य सरकार के माध्यम से वहां अमल किए गए और कुछ प्रोग्राम अभी भी चल रहे हैं। जहां तक विदर्भ की बात है, महाराष्ट्र सरकार ने खुद अपना अलग पैकेज बनाया ओर इसके लिए भी उन्होंने ज्यादा राशि का वहां प्रबंध किया था और इस पर भी उन्होंने हंड्रेड परसेंट से ज्यादा एक्च्युअल एक्सपेंडिचर किया है। साथ ही साथ जो अल्टीमेटली, जो डेब्ट वेवर की स्कीम जिससे 65 हजार करोड़ पूरे हिन्दुस्तान में बैंकों में भरे गए किसानों के नाम पर और इनके सिर पर जो बोझ था, वह बोझ कम करने की कोशिश की गई। इससे बहुत बड़ा लाभ वहां के किसानों को भी मिला, यह बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए वहां की जो समस्या थी, चाहे मॉयनर इरिगेशन हो, चाहे आउटस्टेंडिंग लोन का बोझ हो और इंटरेस्ट का जो ज्यादा बोझ था, वह सब कम करने के लिए कोशिश की गई। इसका असर होना चाहिए। अन्य राज्यों में इसका असर हो रहा है, ऐसे रिजल्ट दिख रहे हैं। परन्तु यहां और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं।

प्रो. **अलका क्षत्रिय**: सर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जैसे बताया है कि सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी योजना या कम ब्याज पर ऋण दिए जाने की वजह से किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में कम हुए हैं। सर, पंजाब राज्य में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है, वहां पर किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले 2008 के मुकाबले 2009 में बढ़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने इसके बारे में कोई जांच करवायी है कि किन कारणों की वजह से पंजाब में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले बढ़े हैं? अगर जांच करवायी है, तो इसके बारे में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिससे वहां पर आत्महत्या के मामले कम हों? क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे अधिक गेहूं पैदा किया जाता है, तो वह पंजाब राज्य में किया जाता है और यह दुखद घटना है।

श्री **शरद पवार**: सर, पंजाब के बारे में पंजाब सरकार ने जो हमें अभी तक इन्फारमेशन दी है, उसके अनुसार वर्ष 2007 में टोटल केस पंजाब में 24 हुए थे, वर्ष 2008 में 12 केस हो गए और वर्ष 2009 में 68 केस हो गए। यह सूचना पंजाब सरकर ने हमें दी है।

प्रो. **अलका क्षत्रिय**: सर, मैंने यह पूछा था कि आत्महत्या के केस बढ़े क्यों हैं? ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The question has been answered. प्रो. राम गोपाल यादव।...(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति महोदय, हम भी सवाल पूछने के लिए हाथ उठा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज।...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादव: सभापति महोदय, यह सारा देश जानता है कि उन इलाकों में सर्वाधिक आत्महत्याएं हुई थीं जहां कॉटन की खेती होती थी। यह रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में सबसे बढ़िया कॉटन की खेती हुई है और दुनिया में कम हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर कॉटन के एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी जाती है, तो जो पूरा इलाका आत्महत्या करने वाला है, वह खुशहाल हो सकता है। जब सारी दुनिया में कॉटन की पैदावार कम होने की वजह से उसके भाव बढ़े हैं, हिन्दुस्तान के किसानों को वह भाव मिल सकता है, अगर आप उनको कॉटन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें, विदर्भ से लेकर नासिक तक का सारा इलाका इससे खुशहाल हो सकता है, क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि कॉटन को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें?

श्री शरद पवार: सर, कॉटन एक्सपोर्ट के लिए तो इजाजत थी और कॉटन एक्सपोर्ट भी किया गया है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री की आयी है, इस रिपोर्ट के माध्यम से टोटल इस देश से कॉटन एक्सपोर्ट होने की आवश्यकता थी, उससे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है और इसका असर अल्टीमेटली देश के स्टॉक पर पड़ेगा और स्टॉक पर लिमिटेशन आएगी तथा इसका असर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर पड़ेगा और इनके लिए कॉटन ऐवेलेबल नहीं रहेगा, इस तरह की शिकायतें टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री के पास आयी हैं। इसलिए वे एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस देते हैं, उनको रोकने के लिए काम किया है। मगर इससे पूरे हिन्दुस्तान में कॉटन के भाव पर कुछ बुरा असर हुआ है, यह बात हमारे सामने आयी है। कई जगहों पर 400-500 रुपये क्विंटल तक भाव कम हो गया है, इस तरह की समस्या सरकार के सामने लायी गयी है। यह बात सच है कि विदर्भ के इलाके के बारे में माननीय सदस्य ने बताया कि वह सब कॉटन ग्रोइंग एरिया है, इसका असर वहां पर भी पूरा होगा। अभी तक वहां कुछ कॉटन का क्रॉप किसानों के पास है और उसे इसकी कीमत उनको भी देनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में इसमें second thought देने की आवश्यकता मुझे लगती है और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, हम तीनों मिनिस्ट्री के लोग एक साथ बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे, जिससे किसानों का नुकसान न हो, इस पर ध्यान देंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 605. *...(Interruptions)...*

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, इस पर तीन सप्लीमेंट्रीज़ हो गए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: सभापति महोदय, देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: तीन सप्लीमेंट्रीज़ हो गए। नहीं, नहीं, तिवारी जी, प्लीज। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सर, हम भी इस पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : नहीं, नहीं, नरेश जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Question No. 605 please. *...(Interruptions)...*

श्री शिवानन्द तिवारी: यह बिल्कुल सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... 62 प्रतिशत पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है। उस क्षेत्र के लोग आत्महत्या कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: This is Question Hour, not a discussion. *...(Interruptions)...* Please, please. *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए। प्लीज़ डा. सी.पी. ठाकुर साहब, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: तीन महीने में ढाई सौ किसानों ने आत्महत्या की है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, दूसरे सवाल का जवाब देने दीजिए।...(व्यवधान)... What is the point in doing this? *...(Interruptions)...* Your colleague has put the question. Let his question be replied. *...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि: 2009 में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: देखिए, यह समय नहीं है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, जो सवाल पूछा गया था, उसका जवाब दिया जा चुका है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवानन्द तिवारी: इतने किसानों ने आत्महत्या की है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब अगला सवाल चलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

Please, please. *...(Interruptions)...*, Mr. Darda, please. *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Please, please. *...(Interruptions)...* What is the point in doing this?

...(Interruptions)... The next question will not be answered. You are wasting time. *...(Interruptions)...* I am sorry. *...(Interruptions)...* नरेश जी, आप अपनी जगह पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... यहां मत खड़ रहिए। ...(**व्यवधान**)... Please, thank you. *...(Interruptions)...* प्रकाश जी आप बैठ जाइए। आप्टे साहब, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़, अरे भाई बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Question No. 605. *...(Interruptions)...* Please, *...(Interruptions)...* पाणि जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... देखिए, जो सवाल खत्म हो गया है। ...(**व्यवधान**)... We are on to the next question. *...(Interruptions)...* I am sorry. *...(Interruptions)...* This is not a discussion; this is Question Hour. *...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि: एक ही परिवार के इतने लोगों ने आत्महत्या की है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Panyji, please. *...(Interruptions)...* देखिए, क्वेश्चन के through डिस्कशन नहीं हो सकता है। आपको यह बात मालूम है। ...(**व्यवधान**)... Will you please sit down? *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Dr. Thakur and Mr. Tiwari, both of you are senior Members. Please, pleae. *...(Interruptions)...* Questions have to be rotated*....(Interruptions)...* All the requests cannot be entertained. *...(Interruptions)...* Please understand. *...(Interruptions)...* आप बैठ जाइए, प्लीज़।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: आप आधा घंटे का डिस्कशन करवाइए।

श्री सभापति: आप नोटिस दीजिए, उसके बाद डिस्कशन होगा। All right. Supplementary please.

वधवा समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

†*605. **श्री प्रभात झा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी.पी. वधवा समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि प्रतिदिन 100 रुपए से कम आय वाले प्रत्येक भारतीय को गरीब माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करते समय वधवा समिति के सुझावों पर अमल करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सतर्कता समिति के अनुसार गरीबी का अनुमान ऐसे मापदंड पर नहीं किया जाना चाहिए जो कृषि श्रमिकों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अथवा राष्ट्र्य ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) की धारा 6 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम हो। शहरी क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता समिति ने सुझाव दिया है कि निर्धारण का आधार क्षेत्र में अकुशल कामगार को देय न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक अवधारणा नोट परिचालित किया है और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग और अन्य विशेषज्ञों तथा अर्थशास्त्रियों के साथ प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर परामर्श किए हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना